

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या:-यू0ओ0-86/छ:-पु0-9-2011-9/10-आब0-2
लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित विष अधिनियम-1919 (अधिनियम संख्या-12 सन् 1919) की धारा 2 और 8 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके सरकारी अधिसूचना संख्या-3270/आठ-9-4(5)-89, दिनांक 31 जुलाई, 1989 में विष घोषित मिथाइल अलकोहल को कब्जे में रखने और विक्रय को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) सन 1921 को संशोधित करने की दृष्टि से राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसे अधिनियम 1919 की धारा-8 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्या:-यू0ओ0-86/छ:-पु0-9-2011-9/10- आब0-2 दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।
नियम 17-क का संशोधन	(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2- उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) रूल्स, 1921 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 17-क में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(छ) "मिथाइल अलकोहल" का तात्पर्य "मिथोनल" या "कार्बोनल" से है जिसका रासायनिक सूत्र $CH_3 OH$ है और इसमें व्यापार जगत में "बुड अलकोहल" "बुड स्प्रिट", "बुड नेप्था" पायरोक्सीहिक स्प्रिट "पायरोक्सीहिक अम्ल", "पायरोलीशिनियस स्प्रिट", "पायरो अलकोहल", हेस्टेनिग्स "नेप्था", "कोलोनियल स्प्रिट", "कोलम्बीयन स्प्रिट", जैसे या मिथाइल हाइड्रेट के रूप में ज्ञात पदार्थ या कोई तैयार पदार्थ जो मिथाइल

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(छ) "मिथाइल अलकोहल" का तात्पर्य "मिथोनल" या "कार्बोनल" से है जिसका रासायनिक सूत्र $CH_3 OH$ है और इसमें व्यापार जगत में "बुड अलकोहल" "बुड स्प्रिट", "बुड नेप्था" पायरोक्सीहिक स्प्रिट "पायरोक्सीहिक अम्ल", "पायरोलीशिनियस स्प्रिट", "पायरो अलकोहल", हेस्टेनिग्स "नेप्था", "कोलोनियल स्प्रिट", "कोलम्बीयन स्प्रिट", या मिथाइल हाइड्रेट के रूप में ज्ञात पदार्थ या कोई तैयार पदार्थ जो मिथाइल अलकोहल से बनाया गया हो और जिसमें अन्तिम उत्पाद में तरल रूप

अलकोहल से बनाया गया हो और जिसमें अन्तिम उत्पाद में तरल रूप में मिथाइल अलकोहल हो, चाहे ऐसे मिथाइल अलकोहल को किसी भी नाम से पुकारा जाय, जैसा कि यहां पूर्व में उल्लिखित है, भी सम्मिलित है, लेकिन प्रयोगशाला रसायन और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिकर्मण जैसे शुद्ध, अतिरिक्त शुद्ध विश्लेषक प्रतिकर्मक, गारण्टीकृत प्रतिकर्मक, विशेष श्रेणी या स्पेक्ट्रमी श्रेणी, वाणिज्यिक और तकनीकी श्रेणी कार फिशर प्रतिकर्मक ए और बी, प्रयोगशाआलों आदि में प्रयोग किए जाने वाले घोलों में सूचक, जिस पर इस रूप का सम्यक् नाम पत्र चिपकाया गया हो और उसके विनिर्माता का सुपाठ्य नाम और पता प्रदर्शित हो या पात्र और फार्मलडिहाइड के घोल भी, मिथाइल एसीटेट, पैरा फार्मलडिहाइड, मिथाइल अलकोहल में फार्मलीन और पालीऔनील एसीटेट या जिसमें मिथाइल अलकोहल हो और ऐसे अन्य सम्यक्, रसायन या पदार्थ सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

नियम 17-ख
का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम 17-ख में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड(क),(ख),(घ)और(ड) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

17-ख- बिना लाइसेन्स के मिथाइल अलकोहल के कब्जे या विक्रय का निषेध-

(क) राज्य में मिथाइल अलकोहल का उत्पाद के रूप में उत्पादन करने वाला कोई उद्योग लाइसेन्स

में मिथाइल अलकोहल हो, चाहे ऐसे मिथाइल अलकोहल को किसी भी नाम से पुकारा जाय, जैसा कि यहां पूर्व में उल्लिखित है, भी सम्मिलित है, लेकिन उनमें मिथाइल अलकोहल से युक्त पेण्ट और वार्निश, प्रयोगशाला रसायन और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिकर्मण जैसे शुद्ध, अतिरिक्त शुद्ध विश्लेषक प्रतिकर्मक, गारण्टीकृत प्रतिकर्मक, विशेष श्रेणी या स्पेक्ट्रमी श्रेणी, वाणिज्यिक और तकनीकी श्रेणी कार फिशर प्रतिकर्मक ए और बी, प्रयोगशाआलों आदि में प्रयोग किए जाने वाले घोलों में सूचक, जिस पर इस रूप का सम्यक् नाम पत्र चिपकाया गया हो और उसके विनिर्माता का सुपाठ्य नाम और पता प्रदर्शित हो या पात्र और फार्मलडिहाइड के घोल भी, मिथाइल एसीटेट, पैरा फार्मलडिहाइड, मिथाइल अलकोहल में फार्मलीन और पालीऔनील एसीटेट या जिसमें मिथाइल अलकोहल हो और ऐसे अन्य सम्यक्, रसायन या पदार्थ सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

17-ख- बिना लाइसेन्स के मिथाइल अलकोहल के कब्जे या विक्रय का निषेध-

(क) राज्य में मिथाइल अलकोहल का उत्पादन करने वाला कोई उद्योग लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र एम0ए0-1 में

- प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र एम0ए0-1 में स्वीकृत लाइसेन्स के बिना उसका विक्रय नहीं करेगा।
- (ख) जब तक इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट न दी गयी हो, कोई भी व्यक्ति मिथाइल अलकोहल चाहे थोक या फुटकर में लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा थोक और फुटकर के लिए क्रमशः प्रपत्र एम0ए0-2 और प्रपत्र एम0ए0-3 में स्वीकृत लाइसेन्स के बिना बिक्री के लिए न तो रखेगा, न कब्जे में रखेगा, न बेचेगा।
- (घ) कोई भी व्यक्ति प्रपत्र एम0ए0-4 में लाइसेन्स के बिना मिथाइल अलकोहल को दो लीटर से अधिक मात्रा में बिरलक पेण्ट और वार्निश के रूप में न तो क्रय करेगा न कब्जे में रखेगा, न प्रयोग या विक्रय करेगा।
- (ङ.) राज्य में कोई व्यक्ति या उद्योग किसी लाइसेन्स के अधीन मिथाइल अलकोहल किसी व्यक्ति या उद्योग को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विहित रंगीन कर्मक और या तीक्ष्ण गंध मिलाये बिना न तो भण्डारण करेगा, न कब्जे में रखेगा, न वितरण, अन्तरण या विक्रय करेगा।
- (ख) जब तक इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट न दी गयी हो, कोई भी व्यक्ति मिथाइल अलकोहल चाहे थोक या फुटकर में लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा थोक और फुटकर के लिए क्रमशः प्रपत्र एम0ए0-2 और प्रपत्र एम0ए0-3 में स्वीकृत लाइसेन्स के बिना बिक्री के लिए न तो रखेगा, न कब्जे में रखेगा, न बेचेगा। मिथाइल अलकोहल की थोक द्वारा बिक्री 200 लीटर या उससे अधिक मात्रा में होगी, बिक्री मुहरबन्द टैंकरों या ड्रम में की जायेगी।
- (घ) प्रपत्र एम0ए0-4 में लाइसेन्स के बिना मिथाइल अलकोहल से युक्त थिनर जिसकी मात्रा दो सौ लीटर से अनधिक हो, के क्रय, कब्जा, प्रयोग या विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। किन्तु कोई भी व्यक्ति प्रपत्र एम0ए0-4 में लाइसेन्स के बिना मिथाइल अलकोहल से युक्त थिनर जिसकी मात्रा दस लीटर से अधिक हो, का गैर मुहरबन्द ढंग से न तो क्रय करेगा न कब्जे में रखेगा, न प्रयोग या विक्रय करेगा।
- (ङ.) राज्य में कोई भी व्यक्ति या उद्योग किसी लाइसेन्स के अधीन मिथाइल अलकोहल किसी व्यक्ति या उद्योग को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विहित रंगीन कर्मक और या तीक्ष्ण गंध और/या मिथाइल अलकोहल की त्वरित पहचान के लिए किसी प्रभावी पदार्थ को मिलाये बिना न तो भण्डारण करेगा, न कब्जे में रखेगा, न वितरण, अन्तरण या विक्रय करेगा:

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त औषधीय, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, औद्योगिक (उन उद्योगों को छोड़कर जिनमें मिथाइल अलकोहल तैयार

उत्पादन के रूप में किसी मात्रा में विद्यमान रहता है) अथवा शोध क्रियाकलापों के संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी लाइसेन्सधारी या लाइसेन्सधारियों के समूह को आंशिक या पूर्ण रूप से मिथाइल अलकोहल की त्वरित पहचान के लिए रंगीन कर्मक और/या तीक्ष्ण गंध और/या किसी प्रभावी पदार्थ के मिश्रित किए जाने से छूट दे सकेगा।

- (च) मिथाइल अलकोहल की त्वरित पहचान के लिए रंगीन कर्मक और/या तीक्ष्ण गंध और/या किसी प्रभावी पदार्थ के मिश्रित किए जाने से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट देने से इंकार करने से संबंधित आबकारी आयुक्त के आदेश द्वारा व्यथित होने की दशा में कोई व्यक्ति या उद्योग राज्य सरकार के आबकारी विभाग में अपील दायर कर सकेगा:

परन्तु यह और किसी इस उपनियम के अधीन किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त के आदेश के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।

- (च) शब्द और चिन्ह "विष" सभी स्थानों और पात्रों पर, जहां जिनमें मिथाइल अलकोहल या इसका कोई उत्पाद संग्रह किया जाय या रखा जाय सुस्पष्ट रूप में लिखा जायेगा और प्रदर्शित किया जायेगा।

- (ज) मिथाइल अलकोहल के प्रसंस्करण, भण्डारण या परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र, धारित्र, टैंक या बर्तन पर निम्नलिखित सुस्पष्ट उत्कीर्ण लेख, लाल पृष्ठभूमि के समक्ष हिन्दी में और अंग्रेजी में सफेद रंग में अंकित होगा:-

(क) पात्र संख्या और क्षमता।

(ख) मिथाइल अलकोहल या थिनर की मात्रा।

(ग) कानूनी चेतावनी:-

"मिथाइल अलकोहल एक विष है। इसे खाने से अन्धता और मृत्यु हो जाती है।"

- (झ) प्रत्येक मुहरबन्द पैकिंग या मिथाइल अलकोहल से युक्त थिनर के धारित्र के लेबल पर सुस्पष्ट रूप से निम्नलिखित

मुद्रित होगा:-

- (एक) लाइसेन्स संख्या।
- (दो) मिथाइल अलकोहल की प्रतिशत वी / वी में।
- (तीन) बैच संख्या।
- (चार) निर्माण का दिनांक।
- (पाँच) निर्माणकर्ता का नाम और पता।
- (छः) कानूनी चेतावनी:-

खतरनाक चिन्ह के साथ, नीचे उल्लिखित आकार में वैषम्य रंग में लेबल पर विकर्णतः अंकित होगा।

“मिथाइल अलकोहल एक विष है। इसे खाने से अन्धता और मृत्यु हो जाती है।”

- क- 50 लीटर और उससे अधिक के आकार का धारित्र 15 मिमी० आकार का लीटर
- ख- 05 लीटर और उससे अधिक किन्तु 50 लीटर से कम के आकार का धारित्र 10 मिमी० आकार का लीटर
- ग- 01 लीटर और उससे अधिक, किन्तु 5 लीटर से कम के आकार का धारित्र 08 मिमी० आकार का लीटर
- घ- 01 लीटर से कम के आकार का धारित्र 03 मिमी० आकार का लीटर

नियम 17-घ
का संशोधन

- 4- उक्त नियमावली में, नियम 17-घ में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

- (घ) प्रपत्र एम०ए०-4 में लाइसेन्सदार मिथाइल अलकोहल का अपना प्रदाय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रपत्र एम०ए०-1, एम०ए०-2 या एम०ए०-3 में लाइसेन्सदार से प्राप्त करेगा लेकिन

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

- (घ) प्रपत्र एम०ए०-4 में लाइसेन्सदार मिथाइल अलकोहल का अपना प्रदाय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रपत्र एम०ए०-1, एम०ए०-2 या एम०ए०-3 में लाइसेन्सदार से प्राप्त करेगा लेकिन प्रपत्र एम०ए०-4 में लाइसेन्सधारी जो मिथाइल

प्रपत्र एम0ए0-4 में लाइसेन्सधारी जो मिथाइल अलकोहल को थिनर,पेण्ट और वार्निश के रूप में क्रय और विक्रय करना चाहता हो तो उसे प्रपत्र एम0ए0-4 में लाइसेन्सधारी से जो ऐसे उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत है ऐसा करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

अलकोहल को थिनर के रूप में क्रय और विक्रय करना चाहता हो तो उसे प्रपत्र एम0ए0-4 में लाइसेन्सधारी से जो ऐसे उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत है ऐसा करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

आज्ञा से,


राकेश बहादुर
प्रमुख सचिव।

संख्या:-यू0ओ0-86(1)/छ:-पु0-9-2011-9/10-आब0-2-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (6) अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (10) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-के भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की मुद्रित 5000 प्रतियों शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ✓(11) कम्प्यूटर सेल, गृह नियंत्रण कक्ष, गृह विभाग को उक्त अधिसूचना वेवसाइट पर लोड करने हेतु।
- (12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(एस0के0 रघुवंशी)
सुचिव।